राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11875/2023

गौरी शंकर जिंगर पुत्र स्वर्गीय श्री चंद्र रतन जिंगर, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी 32-ई-141, विवेकानंद स्कूल के पीछे, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर (राजस्थान)---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

3. संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

5. झंवर राम पुत्र श्री मेहराज राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी भवामी पोल के बाहर, रामदेव मंदिर के सामने, जाटावास, पोकरण, जिला जैसलमेर (राजस्थान)---- प्रतिवादी

इससे जुड़े

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 610/2023

झंवर राम पुत्र श्री मेहराज राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी भवानी पोल के बाहर, रामदेव मंदिर के सामने, जाटावास, पोकरण, जिला जैसलमेर।----

याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. गौरी शंकर जीनगर पुत्र स्वर्गीय श्री चंद्र रतन जीनगर, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी 3-ई-141, विवेकानन्द स्कूल के पीछे, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर। ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: सुश्री वर्षा बिस्सा

श्री प्रकाश व्यास

प्रतिवादी के लिए: श्री पुखराज सुथार, डीजीसी

श्री फाल्गुन बुच

श्री गोपालकृष्ण छंगाणी

सुश्री सिमराम मेहता

माननीय श्रीमान. जस्टिस विनीत कुमार माथुर

आदेश

समाचार-योग्य

03/09/2024

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. चूंकि दोनों रिट याचिकाएं एक-दूसरे पर प्रभाव डालने वाले समान तथ्यों से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन्हें इस सामान्य आदेश द्वारा सुना और तय किया जा रहा है।

3. संक्षेप में, वर्तमान रिट याचिकाओं को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता-गौरी शंकर जिंगर ने खुद को सभी मामलों में योग्य मानते हुए, प्रतिवादियों द्वारा 12.01.2015 को जारी विज्ञापन के अनुसरण में कॉलेज व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के पद के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता-गौरी शंकर जिंगर की उम्मीदवारी पर विचार किया गया और चूंकि वह 12.01.2015 के विज्ञापन में की गई शर्तों के अनुसार 'अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड' के मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी उम्मीदवारी पर अनुकूल विचार नहीं किया गया और इसलिए, उन्हें कॉलेज व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के पद पर नहीं चुना गया।

4. यह ध्यान देने योग्य है कि 'अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड' के मापदंडों और प्रयोज्यता पर एस.बी. द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं में इस न्यायालय के

समक्ष विचार किया जा रहा था। सिविल रिट याचिका संख्या 7545/2014 "ललित कुमार बनाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य। जब यह मुकदमा इस न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, तब राज्य सरकार ने 13.07.2021 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें यह माना गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन, 2010 के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके मामलों पर 'अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड' के लिए विचार करने के लिए 5% की छूट दी जाएगी। केवल स्नातकोत्तर में 'अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड' के लिए 5% की छूट पर विचार करने के प्रतिबंध को इस अधिसूचना दिनांक 13.07.2021 द्वारा माफ/कम कर दिया गया। दिनांक 13.07.2021 की अधिसूचना के मद्देनजर याचिकाकर्ता के मामले पर प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा पुनर्विचार किया गया और याचिकाकर्ता को क्रमांक 6-ए में रखा गया तथा नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया। राज्य सरकार द्वारा पत्र/आदेश 30.09.2022 (अनुलग्नक 11) के तहत।

5. दिनांक 30.09.2022 के आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता गौरी शंकर जिंगर को काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया और यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता-गौरी शंकर जिंगर को कॉलेज व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। याचिकाकर्ता-गौर शंकर जिंगर के पक्ष में आदेश पारित होने के स्वाभाविक परिणाम के रूप में, याचिकाकर्ता-झंवर राम (संबंधित रिट याचिका संख्या 610/2023 में याचिकाकर्ता) को 28.12.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया क्योंकि वह कॉलेज व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए चयन सूची में अंतिम उम्मीदवार था। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता-झंवर राम ने रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने नोटिस जारी किए और दिनांक 28.12.2022

को कारण बताओ नोटिस की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता-झंवर राम ने कॉलेज व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के पद पर प्रतिवादियों को सेवा देना जारी रखा। यद्यपि याचिकाकर्ता-झंवर राम को उनकी सेवाओं से मुक्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता गौरी शंकर जिंगर को प्रतिवादियों द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई है, इसलिए, याचिकाकर्ता-गौरी शंकर जिंगर ने वर्तमान रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

6. याचिकाकर्ता गौरी शंकर जिंगर के विद्वान अधिवक्ता श्री बुच ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार के दिनांक 13.07.2021 के आदेश और आरपीएससी की दिनांक 30.09.2022 की सिफारिशों के आलोक में याचिकाकर्ता गौरी शंकर जिंगर को दर्शनशास्त्र विषय में कॉलेज व्याख्याता के पद पर नियुक्ति दी जानी आवश्यक है क्योंकि वह प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करता है। इसलिए वह प्रार्थना करता है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता गौरी शंकर जिंगर के पक्ष में तुरंत नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाए।

7. दूसरी ओर याचिकाकर्ता झंवर राम की विद्वान अधिवक्ता सुश्री बिस्सा ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के समक्ष गलत बयान नहीं दिया है क्योंकि वह प्रतिवादी विभाग द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में विधिवत चयनित था। स्वाभाविक परिणाम के रूप में, उसे कॉलेज व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के रूप में नियुक्त किया गया और वह अपनी नियुक्ति की तारीख से आज तक अपनी सेवाएं दे रहा है। उन्होंने दलील दी कि चूंकि प्रतिवादियों के पास विभाग में कई पद रिक्त पड़े हैं, इसलिए इस न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8951/2022 "नीरज कुमारी मीना बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य" के नेतृत्व में दायर कई रिट याचिकाओं में पारित निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता-झंवर राम की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। यह 07.12.2023 को तय हुआ था। इसलिए वह प्रार्थना करती

हैं कि याचिकाकर्ता-झंवर राम द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी जाए और उन्हें दी गई नियुक्ति को संरक्षित किया जाए और उन्हें कॉलेज व्याख्याता के पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए।

8. प्रतिद्वन्द्वी तर्कों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने दिनांक 07.08.2024 को विद्वान राज्य अधिवक्ता को प्रतिवादी-विभाग में महाविद्यालय व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के रिक्त पदों की उपलब्धता के संबंध में एक अतिरिक्त शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

9. इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, प्रतिवादी-राज्य द्वारा एक अतिरिक्त शपथ-पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह स्थिति दर्शाई गई है कि प्रतिवादी-विभाग में व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के 17 पद रिक्त हैं, जिनमें से 11 पदों पर चयन के लिए वर्ष 2022 में आरपीएससी को अधियाचना भेजी गई थी तथा चयन की प्रक्रिया अभी भी भर्ती एजेंसी यानी आरपीएससी द्वारा की जा रही है।

10. इन परिस्थितियों में, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई गलती नहीं है, लेकिन राज्य का दायित्व है कि वह याचिकाकर्ता-झंवर राम को कारण बताओ नोटिस दे, ताकि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में वर्णित घटनाक्रम के मद्देनजर याचिकाकर्ता-गौरी शंकर जिंगर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने बहुत निष्पक्षता से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-झंवर राम ने कोई तथ्य गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है और चूंकि वह मेरिट सूची में आते हैं, इसलिए आरपीएससी द्वारा की गई सिफारिशों पर उन्हें नियुक्ति दी गई। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उनके निर्देशों और दायर अतिरिक्त शपथ पत्र के अनुसार, कॉलेज व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के रिक्त पद अभी भी प्रतिवादी-विभाग के पास उपलब्ध हैं।

11. मैंने बार में प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया है और मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड को देखा है।

12. उपरोक्त वर्णित घटनाक्रम से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता-झंवर राम का चयन आरपीएससी द्वारा किया गया था और प्रतिवादियों द्वारा 12.01.2015 को जारी विज्ञापन के अनुसरण में व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था और उनकी नियुक्ति के बाद, वे प्रतिवादियों की संतुष्टि के लिए कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। घटनाओं के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 13.07.2021 के माध्यम से 'अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड' पर विचार करने के मानदंडों को बदल दिया है और इसके आगे, याचिकाकर्ता-गौरी शंकर जिंगर की उम्मीदवारी पर अनुकूल रूप से विचार किया गया और उन्हें आरपीएससी द्वारा कॉलेज व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया। चूंकि याचिकाकर्ता गौरी शंकर जिंगर के मामले में नियुक्ति की सिफारिश की गई है, इसलिए राज्य सरकार का दायित्व है कि वह उन्हें नियुक्ति दे, क्योंकि वह कॉलेज व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के पद के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

13. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता झंवर राम ने प्रतिवादी विभाग में काफी लंबे समय तक सेवा की है, हालांकि इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के तहत, याचिकाकर्ता झंवर राम की सेवाएं इस न्यायालय द्वारा नीरज कुमारी मीना (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय के प्रकाश में जारी रखी जा सकती हैं, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

> "15. यह न्यायालय यह भी मानता है कि याचिकाकर्ता प्रश्नगत परीक्षा में सद्भावनापूर्वक उपस्थित हुए थे और याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई कदाचार नहीं हुआ था, तथा प्रतिवादियों ने

स्वयं उन्हें प्रश्नगत परीक्षा में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार विधिवत नियुक्त किया था, जिससे स्पष्ट है कि वे पहले की मेरिट सूची में आते थे। इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा किए गए दोषपूर्ण अभ्यास के आधार पर, उन्हें कर्मचारी के रूप में बने रहने के उनके वैध अधिकार से वंचित करके, विलम्बित चरण में रोजगार से नहीं निकाला जा सकता है। 16. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि याचिकाकर्ता प्रश्नगत पद पर 2 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत थे, तथा उपर्युक्त उद्धृत निर्णयों के अनुसार, यह विधि का स्थापित प्रस्ताव है कि एक बार जब व्यक्ति मेरिट सूची के अनुसार चयनित और नियुक्त हो जाते हैं और उनकी ओर से कोई धोखाधड़ी, शरारत, गलत बयानी या दुर्भावना नहीं होती है, जैसा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के साथ है, तो उनकी निरंतर सेवाएं केवल समाप्त नहीं की जा सकती हैं। कट ऑफ अंकों में संशोधन के आधार पर उन्हें संबंधित रोजगार से बाहर करने की मांग की गई, वह भी काफी विलंब से, और इस प्रकार, याचिकाकर्ता संबंधित पदों पर रहने के लिए उपयुक्त हैं। 17. इस प्रकार, उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ-साथ पूर्वोक्त पूर्ववर्ती कानूनों के मद्देनजर और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, वर्तमान याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और दिनांक 24.06.2022 और 01.06.2022 (सीडब्ल्यू संख्या 8951/2022), 01.06.2022 और 02.06.2022 (सीडब्ल्यू संख्या 8559/2022), 08.06.2022 (सीडब्ल्यू संख्या 8661/2022), 21.06.2022 (सीडब्ल्यू संख्या 8935/2022), 21.06.2022 (सीडब्ल्यू संख्या 8974/2022), 05.07.2022

(सीडब्ल्यू संख्या 8974/2022) के विवादित आदेशों को स्वीकार किया जाता है। सं.9585/2022), 05.07.2022 (सीडब्ल्यू सं.9610/2022), 05.07.2022 (सीडब्ल्यू सं.9613/2022) और 12.07.2022 (सीडब्ल्यू सं.9916/2022) को रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। प्रतिवादियों को तदनुसार निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित पद यानी कांस्टेबल (जीडी)/ कांस्टेबल (ड्राइवर) पर सभी परिणामी लाभों के साथ जारी रखने के लिए उचित आदेश पारित करें। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।"

14. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला न्यायालय भी समता का न्यायालय है। न केवल यह उसकी शक्ति के भीतर है, बल्कि ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय का कर्तव्य भी है कि वह न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाए और अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंके। राहत प्रदान करते समय, उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्याय की मांग और न्याय की मांग के अनुसार उचित आदेश पारित करके समता को संतुलित करे। न्याय के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए समता के न्यायालयों को राहत देने और न देने दोनों के लिए बहुत आगे जाना चाहिए। राहत देना या न देना न्याय, समता और अच्छे विवेक के विचारों पर निर्भर करेगा।

15. वर्तमान मामले में समता के संतुलन को तय करने के लिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी-विभाग के पास रिक्तियां उपलब्ध हैं, न्याय की पूर्ति तभी होगी जब याचिकाकर्ता-झंवर राम की नियुक्ति को कॉलेज व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के पद पर सेवा में जारी रखते हुए संरक्षित किया जाए

और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता-गौरी शंकर जिंगर की कॉलेज व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के पद पर नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किया जाए, जिनके नाम की राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा की गई है।

16. इस प्रकार, याचिकाकर्ता-झंवर राम द्वारा दायर रिट याचिका (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 610/2023) स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे अनुमति दी जाती है। उनकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए उन्हें जारी किया गया कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.12.2022 को रद्द कर दिया जाता है और उन्हें कॉलेज व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है।

17. अब इस तथ्य पर आते हैं कि याचिकाकर्ता गौरी शंकर जिंगर का मामला आरपीएससी द्वारा अनुशंसित किया गया है क्योंकि वह नियुक्ति के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, याचिकाकर्ता गौरी शंकर जिंगर द्वारा दायर रिट याचिका (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11875/2023) भी स्वीकार की जाती है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता गौरी शंकर जिंगर को कॉलेज व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के पद पर आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर नियुक्ति प्रदान करें जो प्रतिवादियों के पास रिक्त है।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता गौरी शंकर जिंगर को नियुक्ति की तारीख से सभी काल्पनिक लाभ दिए जाएंगे और याचिकाकर्ता गौरी शंकर जिंगर कॉलेज व्याख्याता (दर्शनशास्त्र) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से सभी सेवा लाभों के हकदार होंगे।

19. स्थगन याचिकाओं के साथ-साथ अन्य लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

20. इस आदेश की फोटोकॉपी संलग्न फाइल में रखी जाए।

(विनित कुमार माथुर),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।